अध्याय–I : परिचय

1.1 परिचय

सीमित और गैर–नवीकरणीय होने के कारण खनिज मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं; इसलिए उनका दोहन दीर्घकालिक लक्ष्यों और परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (खा0ख0वि0वि0 अधिनियम) की धारा 3 के अन्तर्गत परिभाषित खनिजों में खनिज तेल को छोड़कर सभी खनिज शामिल हैं। खा0ख0वि0वि0 अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत, उप खनिजों का अर्थ है निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली बालू के अलावा साधारण बालू, और कोई अन्य खनिज जिसे केन्द्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गौण घोषित करे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रमुख खनिज कोयला, लौह अयस्क, एंडेलूसाइट, राक फास्फेट, चूना पत्थर, पोटाश, सिलिमेनाइट आदि हैं, जबकि राज्य में पाए जाने वाले उप खनिज सिलिका बालू, चाइना क्ले, ग्रेनाइट आयामी पत्थर, ग्रेनाइट गिट्टी, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ईंट मिट्टी और बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर आदि हैं। खनन न केवल राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, बल्कि सरकार के लिए राजस्व का भी एक प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार यह राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 31.03.2022 तक राज्य में कुल 1,369 पट्टे/परमिट संचालित थे। उत्तर प्रदेश का खनिज मानचित्र नीचे दर्शाया गया है–

चार्ट 1.1 उत्तर प्रदेश का खनिज मानचित्र

माइन मित्रा, एक सम्पूर्ण खनिज प्रबन्धन प्रणाली, उपयोगकर्ता इंटरफेस में पारदर्शिता लाने और वास्तविक समय डेटा निगरानी और व्यवसाय प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग के माध्यम से खनन और खनिज परिवहन में अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा एक अभिनव और महत्वाकांक्षी पहल है। यह एक एकीकृत

पोर्टल है जो नागरिकों को एक ही छतरी के नीचे ई–सेवाएँ, ऑनलाइन खनिज प्रबन्धन, स्मार्ट प्रवर्तन प्रणाली और ऑनलाइन ई–कामर्स प्लेटफार्म प्रदान करता है।

1.2 खनिज संसाधनों के शासन और प्रबन्धन के लिए रूपरेखा

केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित खा0ख0वि0वि0 अधिनियम (समय–समय पर संशोधित) खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए कानूनी ढाँचा तैयार करता है। यह खनन कार्यों के तरीके और प्रणाली, खनिजों के संरक्षण व व्यवस्थित विकास और इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड का भी प्रावधान करता है। खा0ख0वि0वि0 अधिनियम की धारा 13 और 15 के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को क्रमशः प्रमुख खनिजों और उप खनिजों के लिए परिहार स्वीकृत करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ हैं।

खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास और परमिट, लाइसेंस और पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खनिज परिहार नियमावली, 1960 और ग्रेनाइट (संरक्षण और विकास) नियमावली, 1999 भी बनाए गए हैं।

खा0ख0वि0वि0 अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत उप खनिजों के दोहन के लिए कानून राज्यों को सौंपे गए हैं। खा0ख0वि0वि0 अधिनियम की धारा 23 सी के अन्तर्गत राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण की रोकथाम और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 एवं 2021 तथा उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 एवं 2018 बनाये गये।

1.3 खनन नीति 2017

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने खनिजों के बारे में जागरूकता, सभी लोगों तक किफायती मूल्य पर खनिजों की पहुँच और उपलब्धता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'खनन नीति 2017' प्रख्यापित की है।

खनिज नीति के मुख्य उद्देश्य हैं:

1– खदानों एवं खनिजों के माध्यम से राज्य का सतत सामाजिक–आर्थिक विकास;

2– खनिजों का संरक्षण;

3– पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना;

4– खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर में वृद्धि;

5– अगले पाँच वर्षों के भीतर खनिजों से राजस्व को 1.85 प्रतिशत से बढ़ाकर (राज्य के अपने संसाधनों का) तीन प्रतिशत करना; और

6– अवैध खनन/परिवहन को नियन्त्रित करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना।

अवैध खनन को नियन्त्रित करने के उद्देश्य को पूरा करने की रणनीति में विभागीय सचल दल, विभागीय सुरक्षा बल, अधिकतम पट्टे और लाइसेंसिंग, खनन पट्टे क्षेत्र की जियो फेंसिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) ट्रैकिंग, खनन निगरानी प्रणाली, गेटों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी)/पैन टिल्ट जूम (पीटीजेड) खनन प्रणाली का गठन और इसे कण्ट्रोल कमांड सेन्टर से जोड़ना, जिला स्तर पर अंतर–विभागीय टास्क फोर्स के गठन के माध्यम से अवैध खनन/परिवहन को रोकने के लिए जोखिम बढ़ाना, सख्त कारवाही सुनिश्चित करना, एमएम–11 प्रपत्रों का ई–जेनरेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित आवक अभिलेख, ऑनलाइन भुगतान

प्रणाली, अवैध खनन से सम्बन्धित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन आदि।

1.4 विभाग के कार्य

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के मुख्य कार्य हैं:

1–खनिजों की खोज, पूर्वानुमान और आकलन।

2–खानों एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास।

3–खनिज परिहार प्रदान करना।

4–भाटक एवं रायल्टी का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण।

5–पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और खनिज उपयोग के साथ वैज्ञानिक खनन के लिए उद्यमियों को तकनीकी जानकारी और सुविधाएँ प्रदान करना।

6–खनन कार्यों की निगरानी और खनन क्षेत्रों के पुनरुद्धार के साथ–साथ खनन में लगे श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना।

1.5 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियन्त्रण एवं निर्देशन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, (डीजीएम) उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की सहायता दो अपर निदेशकों द्वारा की जाती है जिसकी आगे सहायता चार संयुक्त निदेशकों द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर, जिला खान अधिकारी (जि0खा0अ0) भुगतान योग्य और देय रायल्टी, अपरिहार्य भाटक और परमिट शुल्क आदि का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), जिला कलेक्टर के समग्र प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत खनन प्राप्तियों के संग्रह और लेखांकन के प्रभारी हैं। संगठनात्मक ढाँचा नीचे **चार्ट–1.1** में वर्णित है।

चार्ट 1.1

संगठनात्मक ढाँचा

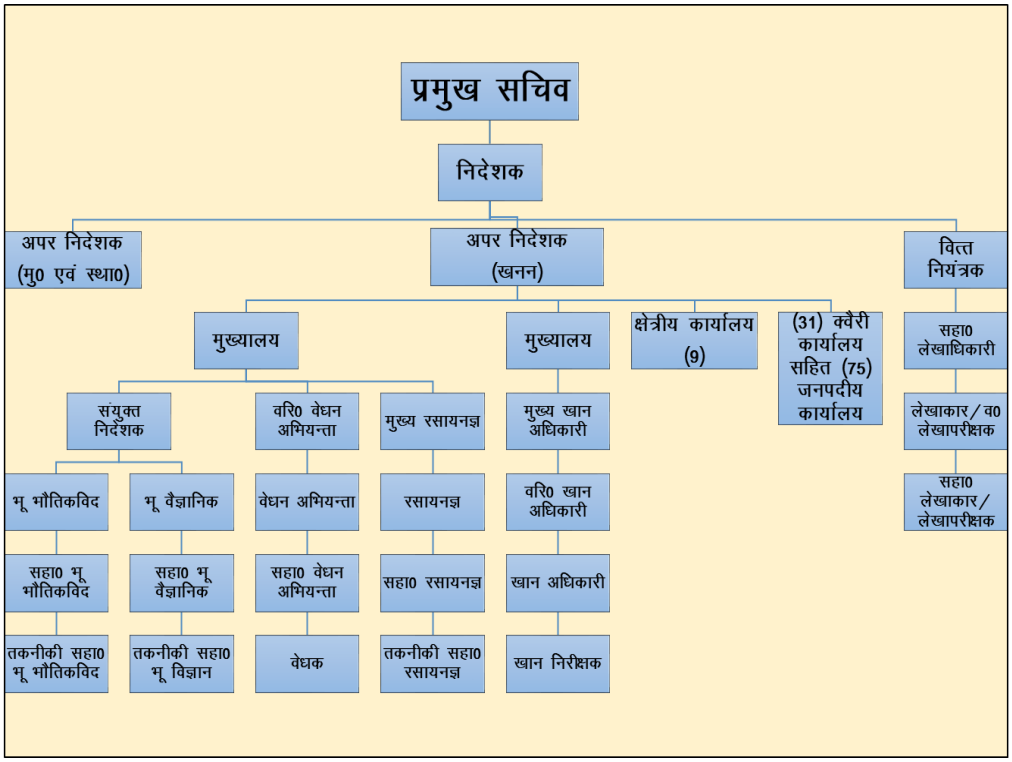

1.6 खनन प्राप्तियों के रुझान

- **राज्य के कुल राजस्व की तुलना में खनन प्राप्तियों के रुझान**

खनन नीति 2017 का एक उद्देश्य राज्य के अपने संसाधनों में खनन प्राप्तियों की हिस्सेदारी को अगले पाँच वर्षों में यानी 2022 तक 1.85 प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करना था। राज्य का कुल राजस्व और शीर्ष ''0853 गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योग'' के अन्तर्गत खनन प्राप्तियाँ 10 वर्षों के लिए **तालिका–1.1** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.1
राज्य के कुल राजस्व के सापेक्ष खनन प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	करेतर राजस्व	राज्य का कुल राजस्व	खनन प्राप्तियाँ	राज्य के कुल राजस्व में खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
2012-13	58,098.36	12,969.98	71,068.34	722.13	1.02
2013-14	66,582.08	16,449.80	83,031.88	912.52	1.10
2014-15	74,172.42	19,934.80	94,107.22	1,029.42	1.09
2015-16	81,106.26	23,134.65	1,04,240.91	1,222.17	1.17
2016-17	85,965.92	28,944.07	1,14,909.99	1,548.39	1.35
2017-18	97,393.00	19,794.86	1,17,187.86	3,258.88	2.78
2018-19	1,20,121.86	30,100.71	1,50,222.57	3,165.44	2.11
2019-20	1,22,825.83	81,705.08	2,04,530.91	2,180.93	1.07
2020-21	1,19,897.30	11,846.15	1,31,743.45	3,112.74	2.36
2021-22	1,47,356.46	11,435.97	1,58,792.43	2,655.48	1.67

स्रोतः उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखे।

राज्य के कुल राजस्व में खनन प्राप्तियों का हिस्सा **चार्ट–1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.2
राज्य के कुल राजस्व के सापेक्ष खनन प्राप्तियों का प्रतिशत

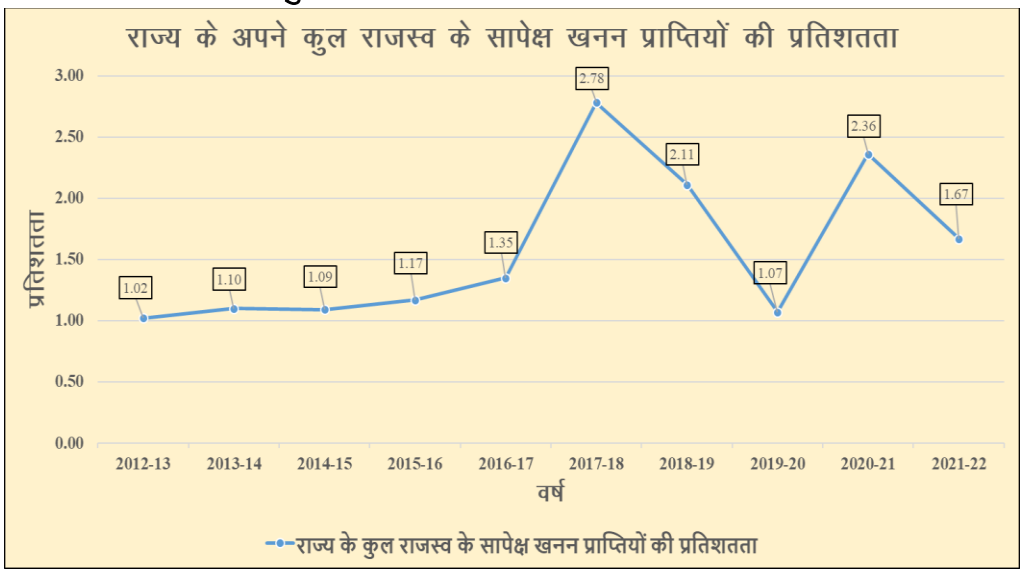

उपरोक्त तालिका और चार्ट से पता चलता है कि विगत दस वर्षों के दौरान राज्य के कुल राजस्व के सापेक्ष खनन प्राप्तियाँ 1.02 प्रतिशत से 2.78 प्रतिशत के बीच थीं। खनन नीति 2017 में राज्य के राजस्व में खनन प्राप्तियों की हिस्सेदारी को तीन प्रतिशत तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसे हासिल नहीं किया जा सका। राज्य के कुल राजस्व में खनन प्राप्तियों की हिस्सेदारी मात्र वर्ष 2017–18, 2018–19 तथा 2020–21 में ही दो प्रतिशत से अधिक रही।

अग्रेतर, खनन प्राप्तियाँ 2017–18 और 2021–22 के मध्य अस्थिर थीं। 2017–18 में खनन प्राप्तियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक थीं और 2019–20 में कम थीं। उ0प्र0 सरकार ने 2017–18 से खनन पट्टों के आवंटन में ई–नीलामी प्रणाली शुरू की थी और खनन प्राप्तियों का संग्रह 2016–17 में ₹ 1,548.39 करोड़ से बढ़कर (110.47 प्रतिशत) 2017–18 में ₹ 3,258.88 करोड़ हो गया। यद्यपि, बाद के वर्षों में प्राप्ति के प्रतिशत में उतार–चढ़ाव आया।

विभाग ने कहा कि कोविड–19 महामारी की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण विकास/निर्माण कार्य प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप खनिजों की माँग कम हो गई। पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसके कारण खनन पट्टे तय समय में संचालित नहीं हो सके। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में खनन कार्यों में रुकावट के कारण खनिजों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ।

• बजट अनुमान के सापेक्ष में खनन प्राप्तियाँ

मुख्य शीर्ष "0853 अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग" के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं खनन प्राप्तियों का विवरण **तालिका–1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2

बजट अनुमान के सापेक्ष खनन प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	खनन प्राप्तियाँ	अन्तर (कालम 3 – कालम 2)	प्रतिशत अन्तर
2017-18	3,200	3,258.88	(+) 58.88	(+) 1.84
2018-19	4,000	3,165.44	(-) 834.56	(-) 20.86
2019-20	4,400	2,180.93	(-) 2,219.07	(-) 50.43
2020-21	4,000	3,112.74	(-) 887.26	(-) 22.18
2021-22	4,500	2,655.48	(-) 1,844.52	(-) 40.99

स्रोत : उ0प्र0 सरकार के वित्त लेखे और उ0प्र0 सरकार के राजस्व और प्राप्तियों के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि मात्र वर्ष 2017–18 में खनन प्राप्तियाँ बजट अनुमान से अधिक थीं, जबकि शेष वर्षों में विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक बजट अनुमान और खनन प्राप्ति के बीच अन्तर (–) 50.43 प्रतिशत से (–) 20.86 प्रतिशत तक था, इस प्रकार, खनन प्राप्ति बजट अनुमान से बहुत कम थी।

- **खनिजवार प्राप्तियाँ**

राज्य की खनिजवार प्राप्तियाँ **तालिका–1.3** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 1.3
खनिजवार प्राप्तियाँ

					(₹ लाख में)
खनिजों और अन्य से प्राप्तियाँ	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1. गौण खनिज					
साधारण मिट्टी	24,466.34	5,793.70	0.00[1]	0.00	0.00
ईंट मिट्टी	25,171.65	18,240.63	19,600.00	16,166.83	14,650.76
ग्रेनाइट (आयामात्मक)	8,743.05	2,108.81	513.00	724.64	861.37
स्लैब	681.76	1,154.47	277.00	635.49	744.51
गिट्टी / बोल्डर	37,982.25	59,751.95	51,414.00	44,980.18	40,654.86
बजरी	0.00	2,043.05	10.46	912.69	346.81
मोरम	96,975.05	1,24,327.13	74,432.00	1,08,617.90	65,634.25
बालू	41,560.73	27,118.64	22,320.00	24,994.04	19,519.78
स्टोन डस्ट	--	--	--	--	215.83
आरबीएम	--	--	--	--	5534.20
सिलिका बालू	331.40	915.85	283.00	301.71	352.67
पायरोफाइलाइट–डायस्पोर	55.99	57.93	46.00	36.35	33.29
प्रवर्तन	2,873.00	8,086.00	4,867.00	7,755.00	12,489.00
अन्य[2]	51,802.00	18,051.00	725.00	64,403.00	54,683.00
2. प्रमुख खनिज					
कोयला	33,721.28	46,796.90	41,361.83	39,686.81	47,525.42
लाइमस्टोन	1,479.41	2,097.81	2,243.21	2,059.41	2,302.30

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

1.7 खनन प्राप्तियों के विभागीय आँकड़ों का वित्त लेखों से मिलान न होना

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के बारहवें अध्याय के प्रस्तर 96 में उपबन्धित है कि प्राप्तियों के किसी विशेष वर्ग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी विशेष व्यवस्था के अधीन, यह देखना विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों का कर्तव्य है कि सरकार को देय सभी राशि नियमित रूप से और तुरन्त निर्धारित किया जाता है, वसूल किया जाता है और शासकीय खाते में विधिवत जमा किया जाता है। नियन्त्रण अधिकारियों को तदनुसार अपने अधीनस्थों से मासिक लेखों और विवरणियों को उचित रूप में प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसे कोषागार में या अन्यथा भुगतान की गई राशि के लिए क्रेडिट का दावा किया गया हो तथा इसकी महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत ट्रेजरी क्रेडिट के विवरण के साथ तुलना की जाए, जिससे यह देखा जा सके कि एकत्रित एवं प्रतिवेदित राशि विधिवत सरकारी खाते में जमा कर दी गई है।

यदि गलत क्रेडिट नियन्त्रण अधिकारियों के ध्यान में आते हैं, तो उन्हें तुरन्त लेखों में सुधार की दृष्टि से महालेखाकार को सूचित करना चाहिए। यदि किसी क्रेडिट का दावा किया गया है लेकिन लेखों में नहीं पाया गया है, तो सबसे पहले सम्बन्धित उत्तरदायी विभागीय अधिकारी से पूछताछ की जानी चाहिए। जहाँ विभागीय नियमों के अन्तर्गत विभागीय रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया जाता है, वहाँ कार्यालय प्रमुखों को प्राप्तियों

[1] वर्ष 2019–20 से सामान्य मिट्टी की रायल्टी दिनाँक 27 मार्च 2018 की अधिसूचना द्वारा शून्य कर दी गई।
[2] अन्य में सीमांकन शुल्क, आवेदन शुल्क, कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्तियाँ शामिल हैं।

की सही और पूर्ण रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय के अन्दर अपनी व्यवस्था करनी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा सूचित खनन प्राप्तियों और राज्य सरकार के वित्त लेखों के अनुसार खनन प्राप्तियों के बीच अन्तर था। यद्यपि विभाग द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज के कार्यालय के साथ नियमित मिलान किया जा रहा था लेकिन विभाग ने विसंगतियों को दूर नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप विभाग खनन प्राप्तियों का सही व पूर्ण रूप से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा। विवरण **तालिका–1.4** में दिखाया गया है।

तालिका 1.4
खनन प्राप्तियों के विभागीय आँकड़ों का वित्त लेखों से मिलान न होना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त लेखों के अनुसार खनन प्राप्तियाँ	विभाग के अनुसार खनन प्राप्तियाँ	अन्तर (कालम 2–कालम 3)
2017-18	3,258.88	3,244.57	(+) 14.31
2018-19	3,165.44	3,164.51	(+) 0.93
2019-20	2,180.93	2,177.49	(+) 3.44
2020-21	3,112.74	3,120.97	(-) 8.23
2021-22	2,655.48	2,664.59	(-) 9.11

स्रोत : उ0प्र0 सरकार के वित्त लेखे और विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

वित्त लेखे के अनुसार खनन प्राप्तियाँ वर्ष 2017–18 से 2019–20 में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए खनन प्राप्तियों के आँकड़ों से अधिक थीं जबकि 2020–21 और 2021–22 में कम थीं।

विभाग ने समापन गोष्ठी में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा कि कोषागार से प्राप्त विवरण और महालेखाकार कार्यालय में उपलब्ध विवरण के बीच विसंगति को दूर किया जाएगा।

1.8 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्याः

1– खानों और खनिजों के प्रशासन को नियन्त्रित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है;

2– विभाग के पास पर्याप्त मानव संसाधन, प्रभावशाली आईटी प्रणाली और अवैध खनन का पता लगाने और रोकने के लिए नवीनतम तकनीक और जानकारी का उपयोग किया गया है; और

3– खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रभावी नियन्त्रण मौजूद थे जिससे कि पर्यावरण और पारिस्थितिक मामलों में उचित प्रकार से ध्यान दिया जा सके।

1.9 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु निम्नलिखित से लेखापरीक्षा मानदण्ड लिये गयेः

- खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
- खनिज परिहार नियमावली, 1960
- उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 एवं 2021
- उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 एवं 2018
- उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017
- उत्तर प्रदेश खनन नीति, 2017

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- सतत् बालू खनन प्रबन्धन दिशानिर्देश, 2016 और
- विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएँ एवं परिपत्र आदि।

1.10 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाँच वर्ष की अवधि अर्थात 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि को आच्छादित किया गया। इस लेखापरीक्षा का क्षेत्र यह जाँच करना था कि क्या राज्य में खनन गतिविधियाँ अधिनियमों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गयी थी। लेखापरीक्षा ने रायल्टी के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण, जिला खनिज निधि (डी0एम0एफ0) में योगदान और प्रभावित खनन क्षेत्रों में इसके उपयोग की जाँच की। लेखापरीक्षा ने यह भी जाँचा कि क्या अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रभावी तन्त्र मौजूद था और अवैध खनन को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

लेखापरीक्षा मानदण्डों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी गई पद्धति में निदेशालय, भूतत्व व खनिकर्म और 18 चयनित[3] जनपदों में जि0खा0अ0 कार्यालय में अभिलेखों की जाँच, खनन डेटाबेस[4] का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्न उठाना, भौतिक सत्यापन, रिमोट सेन्सिंग व जी0आई0एस0 प्रणाली के आँकड़ों का उपयोग करना, उत्तर प्राप्त करना और विभाग के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करना शामिल था। लेखापरीक्षा ने 18 जनपदों में संचालित 531 पट्टों/परमिटों में से 277 पट्टों/परमिटों की नमूना जाँच की। चयनित जिलों को राज्य के मानचित्र में नीचे दर्शाया गया है।

मानचित्र 1.2 चयनित जिले

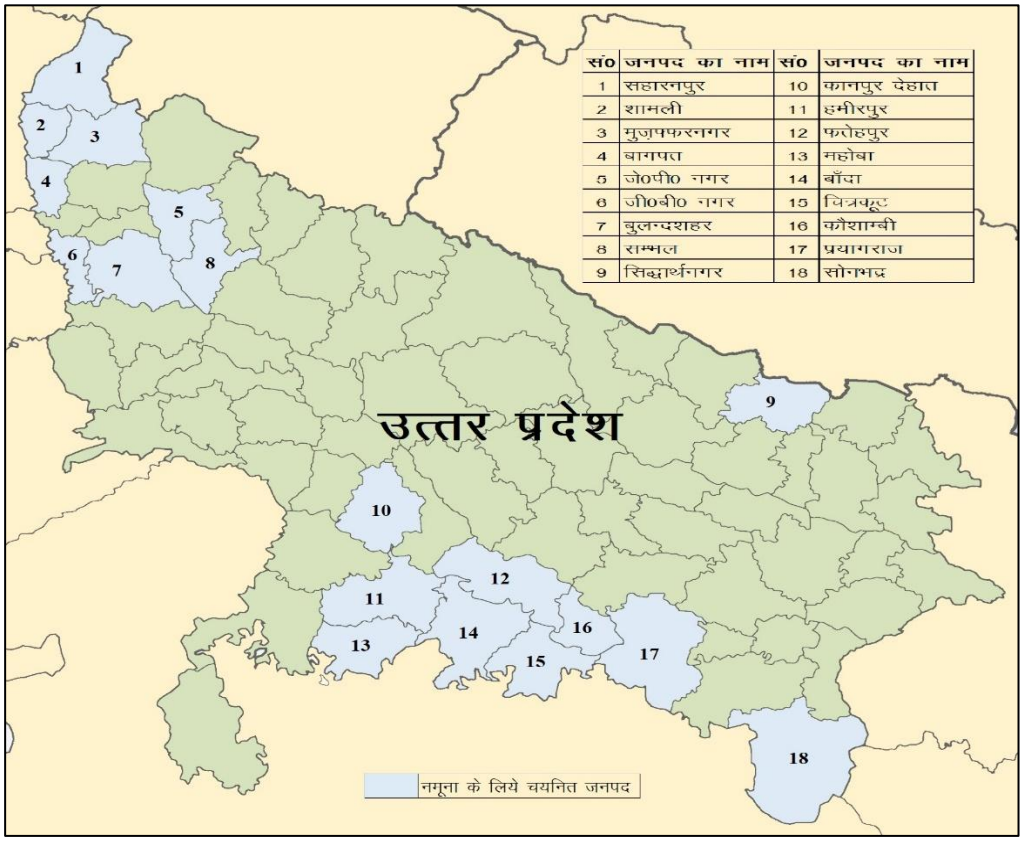

सं0	जनपद का नाम	सं0	जनपद का नाम
1	सहारनपुर	10	कानपुर देहात
2	शामली	11	हमीरपुर
3	मुजफ्फरनगर	12	फतेहपुर
4	बागपत	13	महोबा
5	जे0पी0 नगर	14	बाँदा
6	जी0बी0 नगर	15	चित्रकूट
7	बुलन्दशहर	16	कौशाम्बी
8	सम्भल	17	प्रयागराज
9	सिद्धार्थनगर	18	सोनभद्र

[3] बागपत, बांदा, बुलन्दशहर, चित्रकूट, फ़तेहपुर, जी.बी. नगर, हमीरपुर, जे.पी. नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, मुजफ्फर नगर, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थ नगर और सोनभद्र।

[4] माइन मित्रा पोर्टल और आईएमएसएस का डेटाबेस।

लेखापरीक्षा ने भू–स्थानिक विश्लेषण के लिए अवैध खनन के रिपोर्ट किए गए मामलों के आधार पर दो नमूना जिलों में क्षेत्रों[5] का चयन किया था, जो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (एमएनएनआईटी), प्रयागराज द्वारा प्रदान की गई तकनीकी परामर्श की मदद से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से प्राप्त उपग्रह इमेजरी के माध्यम से किया गया था। सलाहकार ने विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में चयनित क्षेत्रों का दौरा किया और लेखापरीक्षा को एक अध्ययन रिपोर्ट सौंपी।

अन्य चयनित जिलों में गूगल अर्थ प्रो[6] का उपयोग पर्यावरण मन्जूरी, सीमा सर्वेक्षण रिपोर्ट और खनन योजना आदि से प्राप्त पट्टा निर्देशांक की केएमएल[7] फ़ाइलें बनाकर अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया गया था। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–एमएम–11 के डंप डेटा का विश्लेषण लेखापरीक्षा द्वारा टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर[8] की सहायता से किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्ड, लेखापरीक्षा क्षेत्र, कार्यप्रणाली को समझाने और इस मुद्दे पर विभाग के विचार/अभिमत को जानने के लिए विभाग के साथ परिचयात्मक गोष्ठी 28 जून, 2022 को आयोजित की गयी थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने और निष्कर्षों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 4 अगस्त, 2023 को निष्पादन लेखापरीक्षा के समापन पर एक समापन गोष्ठी आयोजित की गई थी। विशेष सचिव सह अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म ने लेखापरीक्षा प्रयासों एवं निष्कर्षों की सराहना की तथा यथाशीघ्र सरकार का उत्तर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर और समापन गोष्ठी के दौरान दिए गये उत्तर को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.11 नमूनाकरण विधि

आईडीईए[9] सॉफ्टवेयर की सहायता से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर लेखापरीक्षा जाँच के लिए 18 जिलों (75 जिलों का 24 प्रतिशत) का चयन किया गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के मुख्य शीर्ष "0853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियाँ" के पिछले पाँच वर्षों (2017–18 से 2021–22) के आँकड़ों से नमूनाकरण किया गया था। इसके अलावा विभाग से भी सूचनायें इकठ्ठा की गयी।

1.12 इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पाँच अध्याय हैं। अध्याय I परिचयात्मक होने के कारण, परिचय, विभाग का संगठनात्मक ढाँचा, राजस्व प्राप्तियाँ, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड और लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है। अध्याय II खनिज परिहार की स्वीकृति से सम्बन्धित है, अध्याय III राजस्व के उद्ग्रहण और संग्रहण में कमियों पर प्रकाश डालता है, अध्याय IV अवैध खनन से सम्बन्धित है और अध्याय V आन्तरिक नियन्त्रण और निगरानी तन्त्र में कमियों पर प्रकाश डालता है। प्रतिवेदन का वित्तीय प्रभाव ₹ 784.54 करोड़ है।

1.13 आभार

लेखापरीक्षा आवश्यक सूचनाओं और अभिलेखों के प्रदान करने में विभाग द्वारा दिए गए सहयोग को स्वीकार करती है।

---

5 जनपद हमीरपुर में तहसील सरीला एवं जनपद प्रयागराज में तहसील बारा।

6 गूगल अर्थ प्रो, गूगल अर्थ का उन्नत संस्करण है, जो एक कम्प्यूटर प्रोग्राम है जिससे मुख्य रूप से उपग्रह पर आधारित पृथ्वी की त्रिविमीय इमेजरी प्रस्तुत करता है।

7 कीहोल मार्कअप लैंग्वेज (केएमएल) फ़ाइल का उपयोग गूगल अर्थ जैसे अर्थ ब्राउज़र में भौगोलिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

8 यह बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा विजुअलाइज़ेशन एनालिटिकल टूल है।

9 इंटरैक्टिव डेटा निष्कर्षण और विष्लेषण।

1.14 अभिलेख/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बाद भी विभाग निम्नलिखित अभिलेख/सूचनाओं को प्रस्तुत नहीं कर सका।

1– बकाया पंजिका और बकाया की स्थिति;

2– डीजीएम और जिला कार्यालयों को जारी किए गए 465 लेखापरीक्षा ज्ञापों पर उत्तर;

3– आईएमएसएस और माइन–मित्रा के डम्प डेटा की डेटा डिक्शनरी।